डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 199/2021

अनवान : –

1. दीपक पुत्र रूकमा जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रूकमा पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
2. अशोक पुत्र रूकमा जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
3. अनिता पुत्री रूकमा जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
4. तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रोहिताष शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 एएमएस के खाता सं0 124/131 के मु0न0 43 के किला न0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 24, 25/1, 25/2, मु0न0 44 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21, मु0न0 49 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, मु0न0 50 के किला न0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, की कुल 5.313है0 जिसमें 5.0370है0 नहरी गै0मु0 खाला 0.276है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता सं0 135/125 के मु0न0 31 के किला न0 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2की कुल 1.265है0 जिसमें नहरी 1.252है0 व गै0मु0 खाला 0.013है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 रूकमा का नाम कलमजन किया जाकर वादी दीपक व प्रतिवादी सं0 2 अशोक को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 — 199 / 2021

अनवान : —

1. दीपक पुत्र रूकमा जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रूकमा पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
2. अशोक पुत्र रूकमा जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
3. अनिता पुत्री रूकमा जाति जाट निवासी बिराण त0 भादरा।
4. तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री पवन सिहाग वादी
श्री रोहिताष शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 18/8/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 3 एएमएस के खाता सं0 124 / 131 के मु0न0 43 के किला न0 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 13, 14, 15 / 1, 15 / 2, 16 / 1, 16 / 2, 17 18, 24, 25 / 1, 25 / 2, मु0न0 44 के किला न0 1 / 1, 1 / 2, 10, 11, 20, 21, मु0न0 49 के किला न0 1 / 1, 1 / 2, 10, 11, मु0न0 50 के किला न0 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 15 / 1, 15 / 2, की कुल 5.313है0 जिसमें 5.0370है0 नहरी गै0मु0 खाला 0.276है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम 1 / 3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता सं0 135 / 125 के मु0न0 31 के किला न0 21, 22, 23 24, 25 / 1, 25 / 2की कुल 1.265है0 जिसमें नहरी 1.252है0 व गै0मु0 रास्ता 0.013है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के नाना सुरजा की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली । वाद भूमि में वादी तथा प्रवितादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं0 4 ने जवाब पेश किया । प्रतिवादी 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में दीपक पुत्र रूकमा जाति जाट नि0 बिराण के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें जमाबंदी चक 5 एएमएस प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2076—79 प्रदर्श 2 शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 3 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 4 नामान्तरण प्रदर्श 5 जमाबंदी पैतृक 5 एएमएस प्रदर्श 6 तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की। वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 का नाम जमाबंदी चक 5 एएमएस के खाता में रूकमा पत्नी सुरजाराम दर्ज हो गया है जबकि इसके स्थान पर रूकमा पुत्री सुरजाराम है। अतः रूकमा पत्नी सुरजाराम व रूकमा पुत्री सुरजाराम एक ही नाम है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा 3 एएमएस के खाता सं0 124/131 के मु0न0 43 के किला न0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 24, 25/1, 25/2, मु0न0 44 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21, मु0न0 49 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, मु0न0 50 के किला न0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, की कुल 5.313है0 जिसमें 5.0370है0 नहरी गै0मु0 खाला 0.276है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता सं0 135/125 के मु0न0 31 के किला न0 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2की कुल 1.265है0 जिसमें नहरी 1.252है0 व गै0मु0 रास्ता 0.013है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा रूकमा पुत्री सुरजाराम की जगह रूकमा पत्नी सुरजाराम एक लिपिकिय भूल है जिसका सही नाम दस्तावेज के मुताबिक रूकमा पुत्री सुरजाराम है। वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 एएमएस के खाता सं0 124/131 के मु0न0 43 के किला न0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 24, 25/1, 25/2, मु0न0 44 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21, मु0न0 49 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, मु0न0 50 के किला न0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, की कुल 5.313है0 जिसमें 5.0370है0 नहरी गै0मु0 खाला 0.276है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 एएमएस के खाता सं0 135/125 के मु0न0 31 के किला न0 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2की कुल 1.265है0 जिसमें नहरी 1.252है0 व गै0मु0 रास्ता 0.013है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रूकमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 रूकमा का नाम कलमजन किया जाकर वादी दीपक व प्रतिवादी सं0 2 अशोक को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)